16

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल (सर्किट कोर्ट) रीवा म0प्र0,

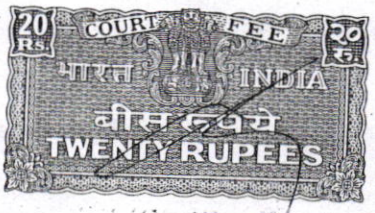

675
19-11-13

राजकरण सिंह तनय स्व0 बल्देव सिंह निवासी ग्राम बुढ़िया तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0,

..........आवेदक/पुर्नविलोकनकर्ता

बनाम

R-4344-III/13

1. श्रीमती गोमती सिंह पत्नी स्व0 समरजीत सिंह,
2. आशीष प्रताप सिंह तनय स्व0 समरजीत सिंह,
3. गायत्री सिंह पुत्री स्व0 समरजीत सिंह,
4. सविता सिंह पुत्री स्व0 समरजीत सिंह,
5. प्रभा सिंह पुत्री स्व0 समरजीत सिंह,
6. प्रतिभा सिंह पुत्री स्व0 समरजीत सिंह,

   सभी निवासी ग्राम लोहदवार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0,
7. वनमाली सिंह तनय स्व0 मर्दन सिंह निवासी ग्राम लोहदवार हाल निवास रोहनिया तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0,

श्री जगदीश सिंह ..एड
द्वारा आज दिनांक 19.11.13 को
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

.........उत्तरवादी/अनावेदकगण

पुर्नविलोकन विरुद्ध आज्ञा श्रीमान् अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0 के पुनरीक्षण प्रकरण कमांक-3114-2/2012 आदेश दिनांक-15.10.2013,

....

अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता एवं आदेश 47 नियम 1 जा0दी0,

....

23/11/13

मान्यवर,

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैः-

1. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा आलोच्य प्रकरण कमांक-3114-2/2012 आदेश दिनांक-15.10.2013 विधि व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक पुनर्विलोकन 4344–तीन/2013 जिल– रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-7–2017	आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत निगरानी प्रकरण कमांक 3114–दो/2012 में पारित आदेश 15–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। आवेदक को पुनर्विलोकन के ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं इस न्यायालय के मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 114 आदेश 47 नियम (1) में पुनर्विलोकन के लिए निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख है :– 1. किसी नई या महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना, जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नही थी, अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक द्वारा तर्क के दौरान ऐसी कोई नई बात अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जो मूल निगरानी में आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं किये गये हों, न ही अभिलेख में परिलक्षित कोई त्रुटि ही बतलाई गई है। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में जिन तथ्यों को इंगित किया है उनका निराकरण निगरानी प्रकरण कमांक 3114–दो/2012 में पारित आदेश 15–10–2013 में किया जा चुका है। 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	